



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092020-221732
CG-DL-E-15092020-221732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2798]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2020/भाद्र 24, 1942

No. 2798]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2020/BHADRA 24, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

का.आ. 3146(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, अतः एतद्वारा खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.— (1) इस आदेश को खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में, पैरा 1 के उप-पैरा (2) को निम्नलिखित उप-पैरा से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(2) यह आदेश दिनांक 1 जनवरी, 2021 से प्रभावी होगा।”

[फा.सं. 11(4)/2017-सीआई]

अनिल अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट: प्रमुख आदेश का.आ. 853(अ), दिनांक 25 फरवरी 2020 के जरिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) के तहत प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 15th September, 2020

S.O. 3146(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Toys (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) This Order may be called the Toys (Quality Control) Amendment Order, 2020.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Toys (Quality Control) Order, 2020, in Paragraph 1, for sub-Paragraph (2), the following sub-Paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) It shall come into force with effect from 1st January, 2021.”

[F.No. 11(4)/2017-CI]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary under Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 853(E), dated the 25th February, 2020.